# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

**अपील संख्या 12/2021, जिला दौसा**

1. पप्पूसिंह पुत्र शम्भूसिंह जाति राजपूत
2. ग्यारसीलाल पुत्र गोविन्दराम जाति कुम्हार
3. कालूराम पुत्र लक्ष्मण जाति मीना
4. बाबूलाल पुत्र कल्याणसहाय जाति मीना
   समस्त निवासी रामपुरा उर्फ महाराजपुरा तहसील दौसा जिला दौसा।

—अपीलान्ट्स

**बनाम**

1. ग्राम पंचायत रामपुरा उर्फ महाराजपुरा तहसील दौसा जिला दौसा जरिये ग्राम विकास अधिकारी (सचिव)
2. जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा।
3. तहसीलदार तहसील दौसा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा दिनांक 28.01.2021 जिसके तहत वाके ग्राम बासडी कलां तहसील दौसा में स्थित भूमि खसरा नंबर 825/821 रकबा 11.95 है0 में से 0.37 है0 भूमि चरागाह से खारिज की जाकर नवसृजित ग्राम पंचायत रामपुरा उर्फ महाराजपुरा तहसील दौसा के भवन व अन्य राजकीय कार्यालयों के भवन निर्माणार्थ आंवटन की है।

**उपस्थित—**

1. वकील अपीलान्ट श्री विनोद कुमार विजय
2. रेस्पोडेन्ट नं. 1 श्री सियाराम शर्मा
3. रेस्पोडेन्ट नं. 2 व 3 श्री चन्दशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता

**निर्णय**

**दिनांक —07.06.2022**

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा के निर्णय दिनांक 28.01.2021 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :—

यह कि विशिष्ठ शासन सचिव एवं निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक : एफ.4(850)पराविं/पीसी/न.सृ.प.भ.नि./2020—21/404 दिनांक 11.2.2020 द्वारा नवसृजित ग्राम पंचायतों के भवन निर्माणार्थ भूमि आंवटन करने के निर्देश प्रदान करने पर तहसीलदार दौसा का पत्र क्रमांकः भू.अ./2020/209 दिनांक 08.01.2021 एवं उपखण्ड अधिकारी दौसा का पत्र क्रमांकःराजस्व/2020/9813 दिनांक 25.08.2020 के द्वारा ग्राम बासडीकला तहसील दौसा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 825/821 रकबा 11.95 है0 में से 0.37 है0 भूमि नवसृजित ग्राम ग्राम पंचायत रामपुरा उर्फ महाराजपुरा पं.स. दौसा के भवन निर्माणार्थ भूमि आंवटन करने का प्रस्ताव प्रेषित किया है। तथा उक्त चारागाह

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर



Scanned by CamScanner

भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम रामपुरा उर्फ महाराजपुरा तहसील दौसा स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 551 रकबा 0.07 है0, 559 रकबा 0.03 है0, 1106 रकबा 0.05 है0, 1145 रकबा 0.04 है0, 1316 रकबा 0.01 है0 कुल किता 05 कुल रकबा 0.20 है0 तथा ग्राम बासडी कला तहसील दौसा स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 553 रकबा 0.09 है0, एवं 780 रकबा 0.08 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.17 है0 इस प्रकार कुल किता 7 कुल रकबा 0.37 है0 भूमि को चरागाह में परिवर्तन करने हेतु क्षतिपूर्ति प्रस्ताव प्रेषित किया गया।

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा ने तहसीलदार दौसा एवं उपखण्ड अधिकारी दौसा के उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.01.2021 पारित कर ग्राम बासडीकला तहसील दौसा स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 825/821 रकबा 11.09 है0 में से 0.37 है0 भूमि की किस्म राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम–1955 के नियम–7 तथा राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकः प. 10(3)राज–6/2001/08 दिनांक 26.07.2017 के अनुसरण में चरागाह से खारिज की जाकर उक्त चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम रामपुरा उर्फ महाराजपुरा तहसील दौसा स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 551 रकबा 0.07 है0, 559 रकबा 0.03 है0, 1106 रकबा 0.05 है0, 1145 रकबा 0.04 है0, 1316 रकबा 0.01 है0 कुल किता 05 कुल रकबा 0.20 है0 तथा ग्राम बासडी कला तहसील दौसा स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 553 रकबा 0.09 है0, एवं 780 रकबा 0.08 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.17 है0 इस प्रकार कुल किता 7 कुल रकबा 0.37 है0 भूमि को क्षतिपूर्ति के रूप में चरागाह में परिवर्तन करते हुये प्रस्तावित चरागाह भूमि को नवसृजित ग्राम पंचायत रामपुरा उर्फ महाराजपुरा प0स0 दौसा के भवन व अन्य राजकीय कार्यालयों के भवन निर्माणार्थ हेतु (जरिये सचिव, ग्राम पंचायत रामपुरा उर्फ महाराजपुरा पं0स0 दौसा) आंवटन नियम–1963 यथासंशोधित के प्रावधानों/शर्तों के अन्तर्गत निःशुल्क आंवटित किये जाने के आदेश दिये गये ।

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा के निर्णय दिनांक 28.01.2021 के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट पप्पूसिंह व अन्य द्वारा यह अपील मंजूर कर अपीलाधीन आदेश जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा के निर्णय दिनांक 28.01.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम पंचायत रामपुरा उर्फ महाराजपुरा पंचायत समिति दौसा के भवन निर्माणार्थ हेतु बासडी कलां में स्थित चरागाह भूमि का प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया है जबकि उक्त ग्राम पंचायत रामपुरा उर्फ महाराजपुरा में स्वीकृत हुई है अतः नवसृजित ग्राम पंचायत हेतु ग्राम रामपुरा उर्फ महाराजपुरा में स्थित आवादी सिवायचक चरागाह भूमि में से उपयुक्त भूमि का चिन्हीकरण कर नोर्म्स अनुसार प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी दौसा के माध्यम से भिजवाया गया है यदि ग्राम रामपुरा उर्फ महाराजपुरा में कोई राजकीय भूमि उपलब्ध नहीं हो तो इस बाबत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें उक्त जिला कलेक्टर महोदय दौसा का स्पष्ट आदेश तहसीलदार दौसा के पास पहुंच जाने के बावजूद भी तहसीलदार दौसा ने उक्त आदेश को नायब तहसीलदार सैथल को भेज दिया और उप तहसीलदार सैथल ने उक्त आदेश की सरासर अवहेलना करके सरपंच व सचिव की मिलीभगत से सरपंच को ग्राम रामपुरा उर्फ महाराजपुरा की चरागाह भूमि हडपाने के उदेश्य से ग्राम रामपुरा उर्फ महाराजपुरा की चरागाह भूमि हडपाने के उदेश्य से ग्राम रामपुरा उर्फ महाराजपुरा में चरागाह भूमि

Scanned by CamScanner

उपलब्ध होने के बावजूद भी और उक्त चरागाह भूमि मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने के बावजूद भी जिला कलेक्टर महोदय के आदेश के विपरीत ग्राम बासडी कलां की भूमि खसरा नंबर 825/821 रकबा 11.95 है0 में से 0.37 है0 भूमि का प्रस्ताव तहसीलदार के माध्यम से जिला कलेक्टर दौसा को भिजवा दिया जो कानूनन गलत था और जिला कलेक्टर दौसा के आदेश दिनांक 16.09.2020 की सरासर अवहेलना है किन्तु इसके बावजूद भी जिला कलेक्टर दौसा ने अपने स्वंय के पूर्व के आदेश दिनांक 16.09.2020 को देखे बिना और राजनैतिक दबाव में आकर तथा ग्राम पंचायत रामपुरा उर्फ महाराजपुरा के पंचायत भवन आदि के लिये ग्राम बासडी कलां की भूमि का आंवटन कर दिया जो गलत है अतः निर्णय अधिनरथ न्यायालय निरस्तनीय है। जिला कलेक्टर दौसा ने दिनांक 16.09.2020 को स्पष्ट आदेश दिया था कि रामपुरा उर्फ महाराजपुरा से उपयुक्त भूमि का चिन्हीकरण कर नोमर्स अनुसार प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी दौसा के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करे और भूमि उपलब्ध नहीं हो तो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे लेकिन तहसीलदार दौसा ने रामपुरा उर्फ महाराजपुरा में भूमि उपलब्ध होने के बावजूद भी मन मर्जी से रामपुरा उर्फ महाराजपुरा की भूमि का प्रस्ताव नहीं भिजवाकर और उक्त प्रस्ताव को उपखण्ड अधिकारी दौसा के माध्यम से नहीं भिजवाकर सीधा ही जिला कलेक्टर दौसा भिजवा दिया जिस पर जिला कलेक्टर महोदय दौसा ने अपने पूर्व के आदेश दिनांक 16.09.2020 को देखे बिना उक्त निर्णय पारित किया है अतः निर्णय अधिनरथ न्यायालय निरस्तनीय है। अपीलान्ट ग्राम रामपुरा उर्फ महाराजपुरा के रहने वाले है तथा समस्त पंचायत के लोग और अपीलान्ट ग्राम पंचायत भवन ग्राम पंचायत हैड क्वाटर रामपुरा उर्फ महाराजपुर में बनवाना चाहते है। सरपंच ने निजी स्वार्थवश बासडी कलां का प्रस्ताव भिजवा दिया जो कि पंचायत हैड क्वाटर से बहुत दूर है इसलिये अपीलान्ट उक्त अधिनरथ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा के आदेश दिनांक 28.01.2021 से प्रभावित पक्षकार है तथा उक्त निर्णय के खिलाफ अपील पेश करने चाहते है जिसकी श्रीमान द्वारा इजाजत दिया जाना न्यायोचित है। श्रीमान की इजाजत से अपील पेश है। धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पृथक से संलग्न है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा दिनांक 28.01.2021 को निरस्त फरमाने एवं अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा का आदेश को आदेश देने की कृपा करें कि ग्राम पंचायत रामपुरा उर्फ महाराजपुरा के लिये ग्राम रामपुरा उर्फ महाराजुपरा में स्थित सरकारी भूमि में से ही ग्राम पंचायत रामपुरा उर्फ महाराजपुरा के लिये भवन व अन्य राजकीय कार्यों के लिये भूमि आंवटन करने का आदेश देने में अधीनस्थ न्यायालय में कानूनी त्रुटि की है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश शून्य एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता एवं रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि राजकीय अधिवक्ता एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा ने अपने आदेश क्रमांकः आर11जीपी(8)2021/616 दिनांक 28.01.2021 के द्वारा विशिष्ठ शासन सचिव एवं निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के पत्र क्रमांक : एफ.4 (850)पराविं/पीसी/न.सृ.प.भ.नि./2020–21/404 दिनांक 11.2.2020 के अनुशरण में ग्राम बासडीकला तहसील दौसा स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 825/821 रकबा 11.09 है0 में से 0.37 है0 भूमि की किस्म राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम–1955 के नियम–7 तथा राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकः प. 10(3)राज–6/2001/08 दिनांक 26.07.2017 के अनुसरण में चरागाह से खारिज की जाकर उक्त चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम रामपुरा उर्फ महाराजपुरा तहसील दौसा स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 551 रकबा 0.07 है0, 559 रकबा 0.03 है0, 1106 रकबा 0.05 है0, 1145 रकबा 0.04 है0, 1316 रकबा 0.01 है0 कुल किता 05 कुल रकबा 0.20 है0 तथा ग्राम बासडी कला तहसील

रजिस्ट्रार राजस्व अपील प्राधिकरण जयपुर



Scanned by CamScanner

दौसा स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 553 रकबा 0.09 है0, एवं 780 रकबा 0.08 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.17 है0 इस प्रकार कुल किता 7 कुल रकबा 0.37 है0 भूमि को क्षतिपूर्ति के रूप में चरागाह में परिवर्तन करते हुये प्रस्तावित चरागाह भूमि को नवसृजि ग्राम पंचायत रामपुरा उर्फ महाराजपुरा प0स0 दौसा के भवन व अन्य राजकीय कार्यालयों के भवन निर्माणार्थ हेतु (जरिये सचिव, ग्राम पंचायत रामपुरा उर्फ महाराजपुरा पं0स0 दौसा) आंवटन नियम–1963 यथासंशोधित के प्रावधानों/शर्तों के अन्तर्गत निःशुल्क आंवटित की गयी है। उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा ने अपने आदेश क्रमांकः आर11जीपी(8)2021/616 दिनांक 28.01.2021 के द्वारा विशिष्ठ शासन सचिव एवं निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के पत्र क्रमांक : एफ.4 (850)परावि/पीसी/न.सृ.प.भ.नि./2020–21/404 दिनांक 11.2.2020 के अनुशरण में ग्राम बासडीकला तहसील दौसा स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 825/821 रकबा 11.09 है0 में से 0.37 है0 भूमि की किस्म राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम–1955 के नियम–7 तथा राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकः प. 10(3)राज–6/2001/08 दिनांक 26.07.2017 के अनुसरण में चरागाह से खारिज की जाकर उक्त चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम रामपुरा उर्फ महाराजपुरा तहसील दौसा स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 551 रकबा 0.07 है0, 559 रकबा 0.03 है0, 1106 रकबा 0.05 है0, 1145 रकबा 0.04 है0, 1316 रकबा 0.01 है0 कुल किता 05 कुल रकबा 0.20 है0 तथा ग्राम बासडी कला तहसील दौसा स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 553 रकबा 0.09 है0, एवं 780 रकबा 0.08 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.17 है0 इस प्रकार कुल किता 7 कुल रकबा 0.37 है0 भूमि को क्षतिपूर्ति के रूप में चरागाह में परिवर्तन करते हुये प्रस्तावित चरागाह भूमि को नवसृजित ग्राम पंचायत रामपुरा उर्फ महाराजपुरा प0स0 दौसा के भवन व अन्य राजकीय कार्यालयों के भवन निर्माणार्थ हेतु (जरिये सचिव, ग्राम पंचायत रामपुरा उर्फ महाराजपुरा पं0स0 दौसा) आंवटन नियम–1963 यथासंशोधित के प्रावधानों/शर्तों के अन्तर्गत निःशुल्क आंवटित की गयी है। जिसके संबंध में किसी प्रकार के एतराज या उज्रात की लोकल स्टेण्डाई अपीलांट को नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.01.2021 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा दिनांक 28.01.2021 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

( डॉ. गिरीश पाराशर )
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner